

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 19. 10. 87

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरणा

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 में विचारणीय
विषयों की कार्यसूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1987 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	9
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम, अभियन्त्रण कार्यों एवं सम्पत्ति निस्तारण से सम्बन्धित प्रगति आख्या।	10
4-	अपर इन्डिया पेपर मिल को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	11
5-	अर्जन विभाग द्वारा भवन मानचित्रों पर आपत्ति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।	14
6-	मिलावा आवासीय योजना।	16
7-	महारानी लक्ष्मीबाई पर व्यावसायिक-कम-आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।	17
8-	लिबर्टी सिनेमा के निकट क्षेत्र में व्यावसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन।	18
9-	मोहल्ला सहादतगंज वार्ड में नूरवाडी आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन।	20
10-	शारदा कैनाल से रेलवे लाईन तक तथा लखनऊ कानपुर नेशनल हाई वे से अमौसी डिस्ट्रीव्यूटी क्षेत्र तक भूमि का अर्जन।	22
11-	सीतापुर रोड़ {पश्चिम} आवासीय योजना भाग-2	23
12-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसाद योजना के अन्तर्गत आने वाले हाटीकल्चर फार्म की भूमि को मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।	25
3-	लालबाग कार्मशियल/हाऊसिंग स्कीम	27
4-	प्रयागपुर हाऊस नं० 1 पर टेम्पो स्टैण्ड एवं आवासीय योजना से पेट्रोल पम्प हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	28

- 15- भारत पेट्रोलियम के भूखण्ड संख्या 31/94 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ का भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय उपयोग हेतु परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में। 29
- 16- सीतापुर रोड़ योजना के फेज-2 से आगे 200 एकड़ भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन। 31
- 17- नजूल भूमि खतरा नम्बर 70 पी-63 को प्राधिकरण द्वारा गैराज, दुकान एवं आवास के प्रयोग में लाने का प्रस्ताव। 32
- 18- सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में। 33
- 19- श्री ए0के0 भाटिया, मेसर्स मोहित इन्डस्ट्रीज प्लाठ संख्या 65, ताल कटोरा रोड़ इन्डस्ट्रियल स्टेट यहियागंज लखनऊ के भवन चित्र के सम्बन्ध में। 37
- 20- मेसर्स मोटर सेल्स लि0, 11-महात्मा गांधी मार्ग द्वारा अपने वर्तमान भवन में भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में । 38
- 21- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

विषय संख्या : 1

पृष्ठ संख्या : 1 "ए"

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
24 सितम्बर, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

= x = x = x =

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
24 सितम्बर, 1987 का कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु
सलग्न हैं।

क्रमशः - - -

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1987 का कार्यवृत्त

उपस्थित

- 1- श्री बृजेश कुमार, अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
- 2- श्री नरेश दयाल, जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 3- श्री शैलेश कृष्णा, उपाध्यक्ष/प्रशासक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगरमहापालिका, लखनऊ।
- 4- श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग,
- 5- श्री पी.के. मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- श्री जे.पी. भागवत, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
- 7- श्री राम नगीना सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
- 8- श्रीमती उमा त्रिपाठी, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
- 9- श्री एम.ए. खान, विधायक एवं स्पेशल इन्वाइटी।

अन्य उपस्थिति :

श्री दिवाकर त्रिपाठी, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

0-0

विषय संख्या -1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-
28 मार्च, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-
28 मार्च, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया
गया।

विषय संख्या-2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-
28 मार्च, 1987 की अनुपालन आख्या।

निर्णय

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा
निम्नांकित निर्देश दिये गये:--

- (1) विषय संख्या-2(10) में उप समिति के सदस्य एन.एस. जोहरी के स्थान पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश पढ़ा जाये।
- (2) विषय संख्या-2(14) के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी विषयों के साथ नक्शा भी साथ में संलग्न किया जाया करे।
- (3) निर्णयानुसार अनुपालन आख्या में यह अंकित किया जाय कि क्या निर्णय लिया गया था और क्या कार्यवाही की गयी।
- (4) विषय संख्या-2(18) के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त विषय पुनरीक्षा करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या-3

निर्णय

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य की प्रगति के विवरण का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिया गया जो 3,000 का लक्ष्य निर्धारित हैं उसे शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाये ।

विषय संख्या-4

निर्णय

जुलाई 1987 तक अभियंत्रण विभाग के कार्यों की प्रगति आख्या ।

प्रगति का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिया गया कि लक्ष्य वास्तविक न रख कर मासिक रखा जाये तथा स्टार्टअप ड्रेन का आइटम भी इसमें अंकित (इन्ट्रोड्यूस) किया जाये । इसके अतिरिक्त यह भी अंकित किया जाय कि विकास कार्य में जल एवम् विद्युत की पूर्ति हेतु सेवाएं कितने भवनों हेतु उपलब्ध हैं । भवनों को तभी पूर्ण माना जाय जब उसमें बिजली तथा पानी उपलब्ध हो ।

विषय संख्या-5

निर्णय

भवनों/भूखण्डों एवम् दुकानों आदि के आवंटन से सम्बन्धित प्रगति आख्या ।

सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया । साथ ही यह निर्देश दिया गया कि कुकरेल नाले के दोनों तटबन्धों के बीच अनधिकृत रूप से बसे अकबर नगर के निवासियों को वहां से हटा कर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित प्राधिकरण की योजनाओं के भवनों में शिफ्ट कर दिया जाय इसके अतिरिक्त विद्युत परिष्कार की प्रस्ताव भेज दिया जाय कि बिजली का कनेक्शन तब तक न दें जब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा लखनऊ नगर महापालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्राप्त हो जाये । उक्त प्रस्ताव की प्रति 'लेसू' को भी भेज दी जाय ।

विषय संख्या-6

परिचालन द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुमोदन के सम्बन्ध में विद्यार्थीपरान्त सीतापुर रोड योजना के सेक्टर सी में 110 इंडव्यूंस तथा आजाद नगर योजना में 191 एलआईओ भवनों के निर्माण हेतु ऋण लेने के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया ।

विषय संख्या-7

स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन ।

- निर्णय- विचारोपरान्त परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
- विषय संख्या-8 सीतापुर रोड योजना के सेक्टर " सी " में 110 प्लस 40(150) इंडव्लू 0 एस0 भवनों का निर्माण ।
- निर्णय विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु 40-00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया ।
- विषय संख्या-9 सीतापुर रोड योजना के फेज-2 से आगे 200 एकड़ भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को संशोधित करते हुए 700 एकड़ की डिटेल्ड प्लानिंग के साथ आख्या आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत की जाये । डिटेल्ड का मानचित्र भी संलग्न किया जाय ।
- विषय संख्या-10 धारा-46 उप्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अवर अभियन्ता गण को प्राधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की इंफोसमैन्ट शाखा के समस्त अवर अभियन्ताओं को अपने-अपने वाडों से सम्बन्धित परिवाद पत्रों को दाखिल करने, उनकी पैरवी करने एवं अन्य समस्त कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया ।
- विषय संख्या-11 अधिशासी अधिकारी(आर0बी0ओ0) तथा वास्तुविद (भवन) को भी शमन सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय प्राप्त विधिक राय पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को धारा 32 के अधीन अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिशासी अधिकारी आर0बी0ओ0 तथा वास्तुविद (भवन) को भी प्राधिकृत किया गया ।
- विषय संख्या-12 श्रीएस0मजूमदार , तकनीकी परामर्शदाता (विद्युत) के रूप में नियुक्त के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या-13

श्रीमती मीनादत्त कौल को आवंटित भूखण्ड संख्या-2 एवम् 5 में से एक भूखण्ड बिना हस्तांतरण शुल्क के ।

निर्णय

वित्तीय पहलुओं पर विचारोपरान्त प्रस्ताव यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया निर्देश दिया गया कि इसे अन्य किसी मामले में दृष्टान्त न बनाया जाये ।

विषय संख्या-14

अलीगंज योजना के सेक्टर सी- में प्रस्तावित ग्रीनवेल्ट में कम्युनिटी सेन्टर के स्थान पर आवासीय भूखण्डों का नियोजन ।

निर्णय

विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गये :--

- (1) सामुदायिक सुविधा हेतु ग्रीनवेल्ट में कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण किया जाये ।
- (2) कम्युनिटी सेन्टर हेतु प्रस्तावित भूमि पर आवासीय भूखण्ड न बनाकर केवल इन्स्टीट्यूशन्स को ही दि या जाय

विषय संख्या-15

स्वगीय श्री राज किशोर, गैंगमैन के परिवार को ₹ 25,000/- इक्सग्रेसिवा भुगतान के सम्बन्ध में ।

निर्णय

विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि स्वगीय श्रीराज किशोर की विधवा से लिखवा लिया जाये कि वह कम्पनशेसन का क्लेम नहीं करेगी तथा साथ ही साथ मूल्य विधि सला० से परीक्षा करा लिया जाये कि कम्पनशेसन ऐक्ट के प्राविधान प्राधिकरण के अधिकारों/कार्यो पर लागू होते हैं अथवा नहीं?

विषय संख्या-16

प्रतिकर तथा विकास कार्यों के लिए ऋण हड़को तथा बैंकों से प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एच० डी०एफ०पी० एवम् बैंक से 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर रकम 25-00 करोड़ तक ऋण लेने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण को कुल कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में चुकानी है, के सम्बन्ध में विवरण

आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। प्रतिकर हेतु धनराशि किन-किन श्रोतों से जुटाये जाने का प्रस्ताव है, उनका भी उल्लेख किया जाय।

विषय संख्या-17

योजनाओं को कम्प्यूटराइज़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय

विचार-विमर्श के उपरान्त टिप्पणी के क्रम संख्या-4 में अंकित तकनीकी पदों के सृजन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि इसकी स्वीकृति हेतु संस्तुति शासन को भेज दी जाये।

विषय संख्या-18

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व नगर महापालिका द्वारा कालोनियों में निर्मित भवनों के विक्रय के सम्बन्ध में।

निर्णय

विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए:--

- (1) इच्छुक क्रेताओं से मूल्य का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करा लिया जाय।
- (2) शेष धनराशि आठ त्रैमासिक किश्तों में जमा हो।
- (3) आवंटियों द्वारा किश्तों में पैसा जमा करने पर 15 प्रतिशत व्याज वसूल किया जाय।
- (4) समय से भुगतान करने वाले आवंटियों को 1-5 प्रतिशत कूट प्रदान की जाय।
- (5) उक्त सुविधा केवल उन्ही आवंटियों को दी जाय जो दिनांक 31/3/1988 तक अपनी सहमति प्रदान कर 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर देते हैं।

विषय संख्या-19

नगर के विल्टअप व्यवसायिक क्षेत्र में भू-अच्छादन, एफ0ए0आर0व सेटबैक के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या-20

जनपथ में निर्मित दुकानों को विस्थापितों को विक्रय किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कोई भी कूट देय नहीं होगी तथा दिनांक 31-12-1987 तक प्राधिकरण की पूर्व निर्धारित शर्तों पर क्रय करने वालों को ही विक्रय

किया जाय । विक्रय मूल्य की गणना में भूमि की लागत 110/- प्रति वर्ग फुट की दर से लगायी जाय ।

विषय संख्या-21

निर्णय

टिकैतराय आवासीय योजना भाग-2

प्रस्ताव यथावत अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या-22

निर्णय

रिमोटसेनिंग एप्लीकेशन सेन्टर को आवंटित भूमि के लीजरेन्ट से छूट दिये जाने से सम्बन्धित ।

विचार-विमर्श के पश्चात् संस्थान की राष्ट्रीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए 1/- (एक रुपये) टोकेन लीजरेन्ट लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या-23

निर्णय

लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउन्डेशन को लागत रहित आधार पर भूमि उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित ।

निर्णय लिया गया कि इस मामले में अन्तिम निर्णय हेतु शासन को भेज दिया जाय ।

विषय संख्या-24

निर्णय

पट्टे के किराये के छूट के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के पश्चात् गोमती नगर योजना में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 132 केबीएसव स्टेशन के निर्माण हेतु दी गयी भूमि तथा पुलिस थाने हेतु पुलिस विभाग को दी जानेवाली भूमि का लीजरेन्ट 801/- प्रतिवर्ष लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या-25

निर्णय

नकद ऋण (कैश लोन) से सम्बन्धित योजना ।

विचारोपरान्त उक्त योजना को समाप्त किये जाने हेतु स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र पर ऋण स्वीकृत हेतु विचार कर लिया जाय ।

विषय संख्या-26

निर्णय

गोमती नगर योजना में मेसर्स इण्डियन होटल्स क० लि० (ताज ग्रुप) को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के पश्चात् मेसर्स इण्डियन होटल्स क० लि० (ताज ग्रुप) का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही इनसे व्याज आदि की धनराशि वसूल की जाये ।

विषय संख्या-27

निर्णय

गोमती नगर योजना में पंज सितारा होटल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

विचार- विमर्श के पश्चात् मेसर्स इण्डियन होटल्स लि० का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया

- गया कि इनके पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार ही व्याज आदि की धनराशि तथा मूल्य वसूल किया जाय ।
- विषय संख्या- 28 मेजर एस०एल०शर्मा से लाभांश जमा कराने में कूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचारोपरान्त प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया साथ ही निर्देश दिया गया कि इसे दृष्टान्त नहीं माना जायगा ।
- विषय संख्या- 29 फातिमा हास्पिटल को गोमती नगर योजना में 4 एकड़ भूमि हास्पिटल के लिए आवंटन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।
- विषय संख्या-30 भूखण्ड संख्या-151 मालवीय नगर, ऐशबाग, लखनऊ का भू-उपयोग परिवर्तन ।
- निर्णय विचारोपरान्त प्रस्ताव यथवत् अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या-31 जन कल्याण हेतु स्थापित चैरिटी संस्थाओं के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करते समय वाह्य एवम् आन्तरिक विकास शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चैरिटी संस्थाओं को निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करते समय वाह्य एवम् आन्तरिक विकास शुल्क से मुक्त रखा जाय । प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि प्रत्येक मामला बोर्ड में ही लाया जाय ।
- विषय संख्या-32 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के मुख्यालय के कैन्ट रोड स्थित परिसर का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ।
- विषय संख्या-33 श्री मनोज कुमार सोनकर, भूतपूर्व ठेकेदार, कैसरबाग मण्डी के वर्ष 1985-86 के विरुद्ध बकाये की धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
- विषय संख्या- 34 नजूल भूमि जमरा संख्या-70 पी०-63 को प्राधिकरण द्वारा गैरवाणिज्यिक, दुकान एवम् आवास के प्रयोग में लाने हेतु प्रस्ताव ।
- निर्णय प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

विषय संख्या-35

निर्णय

हरदोई रोड पर राधाग्राम दुग्ध विकास स्वम्
आवासीय योजना ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या-36

निर्णय

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-2-84
के अधीन प्राधिकरण में पूर्व नियुक्त अवकाश प्राप्त
जिला जज श्रीआर०एस०अग्रवाल की पुनःनियुक्ति
के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित शर्तों के अनुसार
श्रीआर०एस०अग्रवाल को अधूरा कार्य पूर्ण करने
हेतु पुनः नियुक्त करने के लिए उपाध्यक्षा, लखनऊ
विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

विषय संख्या-43

निर्णय

शैलपुर कसैला पुनवास योजना भाग-2 हेतु भूमि
अर्जन के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि
उक्त योजना हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही आवश्यक
नहीं है । इस योजना के अन्तर्गत भूखण्डों के नक्शे
विकास शुल्क लेकर पारित किये जायेंगे ।

विशेष प्रस्ताव

- (1) कार्यसूची में सम्मिलित अन्य समस्त विषय
समयाभाव के कारण आगामी बैठक हेतु
जो दिनांक 17/10/1987 के लिए निर्धारित
की गयी है, स्थगित किये जाते हैं ।
- (2) निर्णय लिया गया कि हजरतगंज स्थित नवल
किशोर रोड पर एल०आर्०सी० की
प्रस्तावित तेरह मंजिला बिल्डिंग का भवन
चित्र तथा हजरतगंज में अन्य कोई भी बहुखण्डीय
भवन चित्र स्वीकृत करने के पूर्व प्राधिकरण
का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।
- (3) प्रस्तावित योजनायें जिनमें कोई कार्यवाही
हुई है एवम् काफी समय से लम्बित है, उनका
विवरण प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्तुत
किया जाय ।
- (4) कैसरबाग क्षेत्र में हो रहे अनधिकृत निर्माण
के विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही की जाय ।

ह०/-

(दिवाकर त्रिपाठी)
सचिव

ह०/-

(शैलेश कृष्ण)
उपाध्यक्षा

अनुमोदित

ह०/-

(बृजेश कुमार)
अध्यक्षा

लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

विषय संख्या : 2

पृष्ठ संख्या - 9

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
24 सितम्बर, 1987 में लिए गये निर्णय की
अनुपालन आख्या।

= x = x = x =

उपरोक्त बैठक में लिए गये निर्णयानुसार
कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

कृपया : - - -

विषय संख्या : 3

पृष्ठ संख्या : 10

विषय : बीस सूत्रीय कार्यक्रम, अभियन्त्रण कार्यो एवं
सम्पत्ति निस्तारण से सम्बन्धित प्रगति
आख्या।

= x = x = x =

उपरोक्त प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत
की जा रही हैं ।

क्रमशः - - -

विषय:- अपरहॉडिया पेपर मिल को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

आख्या:-

पेपर मिल कालोनी के लगी हुई नज़ूल की कुछ भूमि पेपर मिल के मालिकों को 90 साल के लिए पट्टे पर दी गयी थी । लीज पर दी गयी भूमि के एक अंश को तत्कालीन टाउन इन्फ्रामेंट एक्ट की धारा 36 के अन्तर्गत एक जसरल इन्फ्रामेंट और रिहाउसिंग स्कीम विहाइंड पेपर मिल आउट्रिड रोड के नाम से बनाई गयी और धारा 42 की विज्ञापितियां भी 2 दिसम्बर, 1959 को जारी हुई ।

पेपर मिल की ओर से एक याचिका संख्या-293 वर्ष 1974 दाखर की गयी जिसमें भू-स्वामी ने तमसेत योजनाओं को इस कारण निरस्त किये जाने को अनुरोध किया था कि धारा 365(4) नगर महापालिका के अन्तर्गत निर्धारित समय में एवार्ड नहीं घोषित किया गया उन्होंने यह भी कहा था कि एवार्ड बनाते समय उनका भूमि की सही कीमत बताने का मौक़ नहीं दिया । भू-स्वामी को उपरोक्त वर्णित रिट दिनांक 2.5.87 को निरस्त कर दी गयी परन्तु भू-स्वामी को एवार्ड के विरुद्ध सन्दर्भ धारा-18 दाखर करने के लिए समय प्रदान कर दिया गया । भू-स्वामी ने इस एवार्ड के विरुद्ध सन्दर्भ भी दाखर कर दिया ।

काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भू-स्वामी ने पुनः एक रिट याचिका सं०-6437/83 दाखर की जिसमें उन्होंने यह बात कही कि जिस भूमि का कब्जा उनसे लिया जा रहा है वह भूमि नोटिफिकेशन के बाहर है ब्रह्म इस तथ्य को साबित करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से दो आधार लिखे थे । प्रथम तो यह था कि योजना का नाम ही पेपर मिल के पीछे की भूमि कही गयी है । अर्जित की जाने वाली भूमि को पेपर मिल के पीछे वाली भूमि नहीं की जा सकता । दूसरी बात उनकी ओर से यह कही गयी है कि जो खतरा सं०-दखिणी संक्रमा में दिखाये गये हैं । उनके उत्तरिक्त अर्जन किया जाना है । कांटा 53 पी और 54 पी की विज्ञापित धारा 36 और 42 में को ऑगिस्ट नहीं कहा है अतः उनके कटने के अनुसार उक्त नम्बरों के आलावा भूमि अर्जन गीत जा सकता था । माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका सं०-6437/83 लैचेंजे के आधार पर खारिज कर दी गयी परन्तु यह भी लिख दिया कि ब्रह्म यदि प्रार्थी का कथन है उनकी भूमि अर्जन नोटिफिकेशन में सम्मिलित नहीं है तब उसके लिए प्रथम सिविल कोर्ट में उपचार प्राप्त कर सकते हैं ।

भू-स्वामी ने इस आदेश का लाभ उठाकर एक सुकदमा सं०-291/83 सिविल जज मालिहाबाद लखनऊ के न्यायालय में लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध दाखर किया और बाद में स्टेट आफ् यू०पी०को भी अक्टूबर 84 में पार्टी बना दिया । इस बाद का निर्णय लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध हुआ । परन्तु निर्णय देखने से विदित होता है कि सम्बन्धित न्यायालय निर्णय साक्ष्य को पढ़कर नहीं दिया है उपरोक्त निर्णय के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सकेगा । निर्णय के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से उच्च न्यायालय में एक अपील दाखर कर दी गयी है ।

अदालती कार्यवाही में समय लग जाने की समस्या को देखते हुए लखनऊ

विकास प्राधिकरण द्वारा यह भूमि पुनः अर्जित कर ली गयी है तथा इस हेतु धारा 4 व 6 की विनियमित क्रमशः 25.8.86 व 7.9.86 को शासन द्वारा जारी की गयी। इस भूमि अर्जन कार्यवाही के विरुद्ध अपर इंडिया कूपर पेपर मिल ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटिशन नम्बर 6363/86 दाखिल की है।

अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा मुकदमा दापर होने के कारण शासन द्वारा विनियमित जारी होने के उपरान्त भी भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका। उपरोक्त से यह विदित होता है कि प्रारम्भ से ही अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा इस भूमि को बचाने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है और पुनः विक्रयित जारी कराने के उपरान्त भी इस भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जाना निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

इसी बीच अपर इंडिया पेपर मिल ने आवासीय भवन बनाने हेतु एक योजना तैयार की तथा सन् 80 में ले आउट्ट छलान विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु जमा किया तथा अपने प्लान की स्वीकृति कराने हेतु उच्च न्यायालय में एक और रिट पिटिशन नं०-3484/86 दाखिल की जिसकी पैरवी भवन विभाग द्वारा की जा रही है।

इसी बीच अपर इंडिया पेपर मिल ने अपने पत्र दिनांक: 15.5.87 द्वारा कुछ विन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष रखे कि अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण इन विन्दुओं पर सहमत हो तो अपने इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा आदलतके कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा जो विन्दु प्रस्तुत किये गये हैं वे मुख्यतः निम्न प्रकार है:-

1. चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि अर्जन हेतु उद्देश्य आवासीय योजना का निर्माण करना है तथा हमारा भी यही उद्देश्य है। अतः भूमि को आवासीय योजना के निर्माण करने के लिए प्लानर सरिया रेसियों की अनुमति प्रदान करें।
2. आन्तरिक विकास हम स्वयं करेंगे तथा इसके लिये 25% गारन्टी देने के लिए तैयार हूँ।
3. § 1 § वाह्य विकास हेतु सीवेज तथा पानी की सप्लाई के लिए जल संस्थान नगर महापालिका से सम्पर्क स्थापित करेंगे।
§ 1 § इसी तरह विजली की आपूर्ति के लिए लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडर-टैकिंग से व्यवस्था करावेंगे।
§ 1 § सड़क को चौड़ा करने के लिए जो प्रपोजेन्ट चार्ज होने के लिए तैयार हूँ।
4. लखनऊ विकास प्राधिकरण हमारी भूमि अर्जन से मुक्त।

चूंकि शासन द्वारा उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु विनियमित जारी की जा चुकी है अतः भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों एवं प्राइवेट विल्डर्स एवं सहकारी समितियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। अपर इंडिया कूपर पेपर मिल द्वारा वर्ष 1980 में जो भवनचित्र प्रस्तुत किया गया था वह ग्रेड हाउसिंग के लिए था। उन्होंने अपने पत्र

में यह भी लिखा है कि यह इस भूमि पर हाउसिंग करना चाहते हैं इस हेतु उन्होंने उपरोक्त शर्तें दी हैं। गुप हाउसिंग हेतु इकाजों भवन चित्र प्राप्त हुआ था योजना में होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था। वह भवन चित्र अब भी विचाराधीन है। प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र के सुनिश्चित विकास को ध्यान में रखते हुए भूमि अर्जित की गयी है और यदि अपर इंडिया कूपर पेपर मिल विकास प्राधिकरण के अनुसार एवं उसके नार्म्स पर गुप हाउसिंग प्लान में डेवलपमेंट करना चाहते हों तो उन्हें एक अवसर देना उचित प्रतीत होता है।

यदि उपरोक्त में अपर इंडिया कूपर पेपर मिल के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के उपरान्त अपन इंडिया पेपर मिल को भूमि आवंटित किये जाने हेतु निर्णय लिया जाय तो ऐसी परिस्थिति में काफी समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त किया जा सकेगा तथा क्षेत्र का विकास सम्भव हो सकेगा तथा न्यायालय में मुकदमा लम्बित होने के कारण इस क्षेत्र का कब्जा भी प्राप्त करना सम्भव नहीं है और प्राधिकरण द्वारा भी कोई योजना कियान्वित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि वर्ष 1959 से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास के उपरान्त भी इस भूमि का विकास सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में अपर इंडिया कूपर पेपर मिल लिमिटेड का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.5.87 निर्णय हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: अर्जन विभाग द्वारा भवन मानचित्रों पर आपत्ति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 के विषय संख्या-33 पर भवन विभाग में मानचित्रों की स्वीकृति के सरलीकरण के सम्बन्ध में विषय प्रस्तुत किया गया था जिसमें क्रम सं०-5 अर्जन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्धारित की गयी थी:-

॥अ॥ जो योजनाएं सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी हैं उन पर आपत्ति के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र न दिया जाय ।

॥ब॥ जो योजनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर लम्बित हैं और जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित नहीं की गयी हैं उन पर स्पष्ट उल्लेख के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये।

बैठक में उपरोक्त विषय पर निम्न निर्णय लिया गया:-

"विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के पैरा-2 में यह बिन्दु और जोड़ दिया जाये कि निर्माण होते समय विकास प्राधिकरण अपने स्तर से भी स्थल निरीक्षण करता रहेगा और निर्माण की चेकिंग करने वाले अधिकारीगण यदि किसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।"

अनापत्ति हेतु जो नीति निर्धारित की गयी थी उसके अनुसार जो योजनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी गयी थी उन पर आपत्ति तथा जो योजनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित नहीं हैं या प्राधिकरण स्तर पर ही लम्बित हैं उन पर आपत्ति अंकित करना था वहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना कदापि संभव नहीं होता है क्यों कि यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाय तो जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रस्ताव तैयार करता है या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और वैधानिक रूप से ऐसे मानचित्रों पर आपत्ति भी लगाना उचित नहीं है क्यों कि जब तक शासन द्वारा भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञापितियां जारी नहीं हो जाती हैं तब तक भूमि पर स्वामित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का नहीं होता है और ऐसी स्थिति में ऐसे भवन चित्रों पर आपत्ति अंकित करना वैधानिक रूप से गलत है । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी प्रयास किया जाता है कि विज्ञापितियां जारी होने के उपरांत भी जो भी योजना के अन्तर्गत निर्माण हो उन्हें यथासंभव योजना के लेआउट प्लान में समायोजित कर लिया जाय और भू-स्वामी से नियमानुसार विकास व्यय ले लिया जाय ।

उपरोक्त परिस्थितियों में उचित होगा कि जो भी योजनाएँ प्राधिकरण की स्वीकृति के बाद जिलाधिकारी/शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं उन योजनाओं में भी जो भवन चित्र निम्न शर्तों को पूरा करते हों उन पर अनापूर्ति अंकित कर दी जाय :-

1. नगर महापालिका की सीमा के भीतर स्थित है।
2. जिस स्थल पर भवन निर्माण प्रस्तावित है वह विकसित क्षेत्र में स्थित है।
3. इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है उन योजनाओं में भी जो भवन चित्र प्राप्त होते हैं उपरोक्त शर्तों को पूरा करने की दशा में स्वीकृत करने हेतु अग्रसारित कर दिये जाय। यदि उपरोक्त प्रथा से भवन मानचित्र पर भवन विभाग द्वारा अनापूर्ति अंकित कर दी जाती है तो भविष्य में जब योजनाओं की विक्षाप्तता शासन द्वारा जारी कर दी जाती है और भूमि का अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया जाता है तो जिन भवन चित्रों पर अनापूर्ति अंकित की जा चुकी है उनकी भूमि को सम्बन्धित भू-स्वामी को लीज पर दे दिया जायेगा अथवा उसे योजना के ले आउट प्लान में समायोजित कर लिया जायेगा।

भवन चित्रों की स्वीकृति हेतु यदि उपरोक्त प्रक्रिया अपना जाता है तो भवन चित्र पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण के साथ-2 जनता को भी काफी रहत मिलेगी अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के सम्मक्ष अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय:- भिलावाँ आवासीय योजना ।

आख्या:- लखनऊ कानपुर रोड पर शारदा कैनाल के किनारे-किनारे एक योजना वर्ष 1963-64 में प्रस्तावित की गयी थी । जिसके अन्तर्गत लगभग 700 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव था परन्तु वर्ष 1983 तक किसी न किसी कारणवश अर्जन हेतु कोई कार्यवाही न की जा सकी । इसी बीच योजना के बहुत से भाग पर निर्माण हो गया और सम्पूर्ण भूमि पर योजना चलाना सम्भव नहीं था । अतः उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक: 2.11.83 को निम्न निर्णय लिया गया :-

" जो क्षेत्र अनाधिकृत निर्माण से बचा है उसका सुनियोजित विकास हो सकेगा अतः अर्जन प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाये ।"

वर्तमान समय में योजना में कुल 319.04 एकड़ भूमि निर्माण से अवरोध है । अतः 319.04 एकड़ भूमि पर ही योजना चलाना सम्भव होगा । अतः निम्न विन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. योजना का नाम भिलावाँ आवासीय योजना रखने की अनुमति ।
2. 319.04 एकड़ भूमि के अतिरिक्त जो भूमि मोके पर निर्माणों से आच्छादित हो चुकी है उस पर योजना न चलाने की अनुमति ।

विषय:- महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।

आख्या:- महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में 8.50 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है, यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 29.2.85 में प्रस्तुत किया गया और निम्न निर्णय लिया गया:-

" विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना का कार्यान्वयन करने से पहले पुर्नवास योजना बनायी जाये तथा उसे प्राधिकरण की बैठक में रखा जाये ।

उक्त आदेश के अनुपालन में स्थल का निरीक्षण किया गया और इस स्थल पर 69 व्यक्ति विस्थापित होंगे । जिसमें से 55 व्यक्तियों के रिहायगी भूखान है 12 दुकाने व 2 कार्यालय है । इन सभी विस्थापितों को इस प्रस्तावित योजना अथवा किसी अन्य योजना में योजना की सामान्य शर्तों व दरों पर पुर्नवासित/समायोजित किया जायेगा । यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 में प्रस्तुत किया गया तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

" अर्जन सम्बन्धी समस्त प्रस्तावित मामलों पर निर्णय लिया गया था कि जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति इस सभी स्थानों का निरीक्षण करेगी तथा गुण अवगुण के आधार पर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा । "

जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 13.5.86 को निरीक्षण किया गया परन्तु इस योजना का निरीक्षण नहीं किया जा सका । इस प्रकार यह योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं हो सकी ।

लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना जनहित में होगा । अतः निम्न बिन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ है:-

1. योजना का नाम: महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना रखने की अनुमति ।
2. योजना में आने वाली 8.50 एकड़ भूमि को भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
3. लखनऊ मास्टर प्लान में यह क्षेत्र व्यवसायिक है । अतः भू-उपयोग व्यवसायिक से व्यवसायिक कम आवासीय परिवर्तित करने की अनुमति ।

विषय:- लिवर्टी सिनेमा के निकट क्षेत्र में व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन।

आख्या:- लिवर्टी सिनेमा के पश्चिम में खाली पड़ी भूमि पर व्यवसायिक योजना बनाई गयी थी जिसका कुल क्षेत्रफल 1.04 एकड़ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित कर दिये गये हैं। यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.3.85 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न निर्णय लिया गया:-

" योजना को कार्यान्वयन करने से पहले विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना बनाई जाय तथा उसे प्राधिकरण की बैठक में रखा जाय।"

मौके पर रह रहे व्यक्तियों की सूची तैयार की गयी तथा जिन व्यक्तियों की दुकानें थीं उन्हें इसी योजना में योजना की सामान्य शर्तों एवं दरों पर दुकाने आवंटित करने हेतु एवं जिन व्यक्तियों के रिहायशी मकान थे उन्हें किसी अन्य आवासीय योजना में प्राधिकरण की सामान्य शर्तों एवं दरों पर भवन/भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.4.86 को लिया गया।

तत्पश्चात् यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 में पुनः प्रस्तुत किया गया और निम्न निर्णय लिया गया:-

" अर्जन सम्बन्धी सम्स्त प्रस्तावित मामलों पर निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति इन सभी स्थानों का स्थल निरीक्षण करेगी तथा गुणवत्त अवगुण के आधार पर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।"

जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 13.5.86 को कुछ योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया किन्तु इस तिथि को इस योजना का निरीक्षण समिति द्वारा नहीं किया जा सका, और समिति ने विचार विमर्श के दौरान यह मत अवश्य व्यक्त किया कि शहर के मध्य जो कंजस्टेड एरिया में योजनाएं स्थित हैं उनमें यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपना भवन निर्मित कराने हेतु आगे आता है तो उसे एक मौका अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक यह योजना अनुमोदित नहीं की जा सकी। इसी बीच योजना के अन्तर्गत 6400 वर्गफिट भू भाग पर श्रीमती रोमला चटर्जी का भवन चित्र स्वीकृत हेतु प्राप्त हुआ जिस पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति अंकित करने हेतु आदेश प्रदान किये गये साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि भूमि नजूल की हो तो ब्रा जेता कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया है कि कम्युनिटी/ सोशल फेसिलिटी हेतु 33.5% भूमि डिडक्ट करना होगा। अतः जमीन का स्टेटस निर्धारित करना आवश्यक था कि यह भूमि नजूल की है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में जूज विभाग द्वारा आख्या प्राप्त की गयी जिसके अनुसार पूर्व में यह भूमि नजूल की थी परन्तु 1886 ई. में नजूल से मुक्त कर दी गयी अतः अब यह नजूल भूमि नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि यदि श्रीमती रोमला चटर्जी के भवन चित्र को स्वीकृति कर दिया जाता है तो उस क्षण में भी शेष

भूमि पर योजना चलाया जाना जनहित में उचित होगा और यदि इसी योजना में अन्य कोई भू स्वामी अपना भवन निर्माण कराने हेतु भवन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तो उसे भी स्वीकृत किया जाना उचित होगा । उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न विन्दु समिति के समक्ष प्रस्तुत है:-

1. श्रीमती रोमैला चटर्जी के भवन चित्र को स्वीकृत करने की अनुमति
2. यदि भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाता है तो उस दशा में शेष भूमि पर योजना चलाए जाने की अनुमति ।
3. योजना का नाम "लिवट्रीसिनेमा के निकट क्षेत्र पर व्यवसायिक योजना" रखने की अनुमति ।

विषय:- मोडला सहादतगंज वार्ड में नूरवाडी आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।

आख्या:- लखनऊ क्षेत्र में पिछड़े इलाके में सुधार लाने हेतु सहादतगंज वार्ड में नूरवाडी हाउसिंग योजना निर्मित की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत 12.07 एकड़ भूमि अर्जित किया जाना प्रस्तावित है । योजना की चौहदी निम्न प्रकार है:-
 उत्तर:- खसरा नं०-88, 89, 220, 222, 216, 259पी. फा जिल नगर व सरहद मो० फा जिल नगर ।
 दक्षिण:- खसरा नं०-2085पी., 2094, 2086 पी., सहादतगंज खसरा नं०-401, 400, 389, 305, 304, 303, मो० मन्सूर नगर ।
 पूरब:- खसरा नं०-101 पी, 270, 271, 274, 275, 276, 277 मो० मन्सूर नगर ।
 पश्चिम:- खसरा नं०-92 पी., 155 पी., 156, 219पी., 158, 160, 174, 173, 172, 169, 166, मो० फा जिल नगर व खसरा नं०- 2083, 2084 मो० फा जिल नगर व खसरा नं०-2083, 2084 मो० सहादतगंज ।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली समस्त वाली समस्त भूमि को भूमि अध्याधिक अधिनियम की धारा 17 के प्राविधानों सहित धारा 4 व 6 के अन्तर्गत अर्जित किया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त योजना के लिए भूमि अर्जन विषयक प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.3.85 को प्रस्तुत किया गया था और निम्न निर्णय लिया गया था :-

" विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना का कार्यान्वयन करने से पहले पुर्नवास योजना बनायी जाये तथा उसे प्राधिकरण की बैठक में रखा जाय । "

मौके पर स्थल का निरीक्षण किया गया । इस स्थल पर कुल 26 व्यक्ति विस्थापित होंगे । जिसमें से 25 व्यक्तियों के रिहायशी मकान और 1 दुकान है । इन्हीं सभी विस्थापितों को प्राधिकरण की इसी योजना में /किसी अन्य योजना में योजना की सामान्य दरों एवं शर्तों पर भवन/दुकान आवंटित कर पुर्नवासित किया जायेगा ।

पुनः यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 7.5.86 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्न निर्णय लिया गया:-

" अर्जन सम्बन्धी समस्त प्रस्तावित मामलों पर निर्णय लिया गया था कि जिलाधिकारी लखनऊ के अध्यक्षता में एक समिति इन सभी स्थानों का स्थल निरीक्षण करेगी तथा गुण अवगुण के आधार पर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा । "

जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 13.5.86 को स्थल निरीक्षण किया गया परन्तु इस योजना का निरीक्षण नहीं किया जा सका। इस प्रकार यह योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति नहीं सकी।

लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजनाकें शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है। अतः निम्न बिन्दु समिति के सम्बन्ध विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. योजना का नाम:- नूरवाडी आवासीय योजना रखने की अनुमति।
2. इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण भूमि बीघा 19-6-4-1 को भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति।

विषय:- शारदा कैनाल से रेवले लाइन तक तथा लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे से अमौसी डिस्ट्रीक्टब्यूरी क्षेत्र तक भूमि अर्जन के तन्वन्ध में ।

आख्या:- कानपुर रोड योजनाके पश्चिम की तरफ ग्राम-कनौसी, अली नगर तुनहरा, वरगवां, वेहसा, फरुखाबाद चिल्लावां आदि की भूमि के अर्जन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसके अन्तर्गत कुल 1588.77 एकड़ भूमि आती थी । कानपुर रोड के पूरव की ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना भाग-1 व भाग-2 का संचालन किया जा रहा है । कानपुर रोड योजना भाग-1 व 2 के सीमने ही यह भूमि स्थिति है । अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड के एक ओर विकास किये जाने के कारण दूसरी ओर भी लगातार निर्माण होता जा रहा है और जो भी निर्माण हो रहे हैं वे पूर्णतयः अनप्लान्ड तरीके से किये जा रहे हैं । जिससे कि एक तरफ तो विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अधीन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा दूसरी ओर अखण्ड उरके सामने ही पूर्णतयः अनप्लान्ड तरीके से निर्माण हुए जा रहे हैं । इन अनाधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए तथा लखनऊ शहर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि तुरन्त इस क्षेत्र को अर्जित कर लिया जाये ताकि सुनियोजित रूप से विकसित किया जा सके । यहाँ पर यह भी उल्लिखनीय है कि इस योजना की वाउन्ड्री के भीतर लगभग 150 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण और कानपुर से उपलब्ध हो जायेगी और इस भूमि का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तभी किया जा सकता है जब इसके आसपास के क्षेत्र को भी अर्जित कर लिया जाये । उपरोक्त परिस्थितियों में निम्न विन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. योजना की सीमा के अन्तर्गत कुल 1588.77 एकड़ भूमि को भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना का नाम कानपुर रोड (पश्चिम) योजना भाग-1 रखने की अनुमति ।

विषय: सीतापुर रोड पश्चिम आवासीय योजना भाग-2

आख्या: सीतापुर रोड के पश्चिम की तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक बृहद योजना सीतापुर रोड पश्चिम योजना के नाम से बनाई गयी थी जिसका कुल क्षेत्रफल 1262.27 एकड़ था जिसमें से टिम्बर नगर योजना के अन्तर्गत 136.9 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव इस योजना से पृथक कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था और शासन द्वारा इसकी विज्ञापित भी प्रकाशित की जा चुकी है। इस टिम्बर नगर योजना हेतु अर्जित क्षेत्रफल को निकालने के बाद 1125.37 एकड़ भूमि का अर्जन अवशेष है और जिसके अर्जन हेतु विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.03.85 में रखा गया था और जिस पर निम्न निर्णय लिया गया था=

" विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना का कार्यान्वयन करने से पहले पुनर्वासि योजना बनाई जाये तथा उसे प्राधिकरण की बैठक में रखा जाये।" चूंकि इस योजना के अन्तर्गत काफी बड़ा क्षेत्र अर्जन हेतु प्रस्तावित था अतः मौके के अनुसार पुनर्वासि योजना बनाना सम्भव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी जो भी भूमि, भवन या सम्पत्ति अर्जित की जाती है उसके स्वामियों को इच्छानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रचलित दरों एवं शर्तों पर भूखण्ड/भवन आवंटित कर दिये जाते हैं और यदि कोई निर्माण मौके पर स्थित है तो उसे भी समायोजित किये जाने का यथा सम्भव प्रयास किया जाता रहे। ऐसी स्थिति में पुनर्वासि योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। योजना हेतु भूमि अर्जन के उपरांत भी भू-स्वामियों को उनकी अर्जित सम्पत्ति के बदेले योजना की दरों पर भूखण्ड/भवन आवंटित किये जा सकते हैं और जो निर्माण हैं उनके समायोजन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत निरन्तर अनाधिकृत निर्माण होते जा रहे हैं और अभी तक इस योजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति का निर्णय न होने के कारण जिलाधिकारी को भूमि अर्जित करने की कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। उपरोक्त परिस्थितियों में लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि तुरन्त भूमि अर्जन हेतु योजना जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जाये क्योंकि सीतापुर रोड के पूर्व की ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजना संचालित की जा रही है जिससे इस क्षेत्र में भूमि की दर बढ़ गयी है और हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उच्च दरों पर भूमि खेचे कर लाभ कमाया जा रहा है तथा बहुत ही अनप्लान्ड रूप से निर्माण होते चले जा रहे हैं।

योजना की सीमाएं निम्न प्रकार है:-

उत्तर : खतरा सं०-309, ग्राम-सेमरागोढ़ी रास्ता खास

दक्षिण : खतरा सं०-253 ग्राम इरादत नगर सीतापुर रोड

पूरब : सीतापुर रोड व टिम्बर नगर स्कीम।

पश्चिम : सीमा ग्राम मदेहगंज, खतरा सं०-138, 129, ग्राम-अहिबरनपुर

खतरा सं०-223, 222, 218, 215, 211, 214, 157, 193, 199, 198,

197, 233, 234, 196, 195, 193, 192, 180 व 181 ग्राम फजुल्लागंज

ग्राम नौबस्ता।

अतः निम्न बिन्दु विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. योजना का नाम सीतापुर रोड विचम आवासीय योजना भाग-2 रखने की अनुमति ।
2. योजना के अन्तर्गत कुल 1125.37 एकड़ भूमि को भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।

विषय सं०—

12

पृष्ठ सं०—

विषय : अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हार्टिकल्चर फार्म की भूमि को भुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या : अलीगंज सड़क नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत गवर्निन्ट हार्टिकल्चर फार्म जो ग्राम तातारपुर के खसरा नम्बर-16, 30 से 54, 65 व 66 पर स्थित है, के सम्बन्ध में लखनऊ नगर महापालिका ने अपना प्रस्ताव सं०-183 दि० 10. 03. 85 द्वारा निम्न निर्णय लिया गया था :-

"तातारपुर क्षेत्र के लगभग 23 एकड़ भूमि को अर्जन करने से भुक्त कर लिया जाये जो गवर्निन्ट हार्टिकल्चर विभाग के अधिकार में है क्योंकि इस भूमि पर विवादास्पद बीजो का उत्पादन किया जाता है । यह भूमि इस शर्त पर योजना से भुक्त कर दी जाये कि उस भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा ।"

उक्त निर्णय के उपरांत भी इस क्षेत्र का डिमोटीफिकेशन नहीं हुआ । दिनांक 24. 08. 79 को साचिव आवास एवं नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन ने तत्कालीन उपाध्यक्ष के साथ अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के कुछ स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के समय यह प्रश्न सामने आया कि आवासीय क्षेत्र में इतना बड़ा हार्टिकल्चर फार्म का कोई औचित्य नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह विषय पुनः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में रखा गया तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

"प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर महापालिका के प्रस्ताव सं०-183 दिनांक 10. 03. 85 को निरस्त किया जाये तथा उक्त फार्म का कब्जा विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया है कि हार्टिकल्चर विभाग को उक्त फार्म के बदले अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में उतनीही भूमि दे दी जाये।"

उक्त निर्णय के अनुपालन में हार्टिकल्चर फार्म का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त होना था और इस हेतु जिलाधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी / साचिव कृषि विभाग उ०प्र० शासन को लिखा गया था, इसी बीच कृषि विभाग ने हार्टिकल्चर फार्म की भूमि को वाउन्ड्रीवाल से घेरकर उसके अन्दर सड़क एवं कोल्डस्टोरेज आदि का निर्माण कर लिया । साचिव कृषि विभाग द्वारा लगातार इस भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने में अपनी असहमति व्यक्त की । लखनऊ वि०प्रा० की बैठक दिनांक 29. 09. 79 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में हार्टिकल्चर फार्म को उनकी उक्त भूमि के बदले अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना का ग्रीन बेल्ट में उतनी ही भूमि विभागीय पत्र सं०-टी. /431/ए. सी. /दि० 04. 01. 82 द्वारा प्रस्तावित की गयी, और अनुरोध दिया गया कि जनाहद में ग्राम तातारपुर उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें परन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और अन्ततः संयुक्त साचिव कृषि, अनुभाग उ०प्र० शासन ने अपने पत्र दिनांक 25. 01. 86 द्वारा पूर्णतः भूमि के हस्तान्तरण में असहमति व्यक्त की । इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03. 01. 87 को निर्णय लिया गया

कि चूक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पत्र के अनुसार सन्दर्भित भूमि पर विधानसभा कार्यालय/प्रयोग शालाएं कार्यरत हैं अतः प्राथमिकता द्वारा इस भूमि को प्राप्त किये जाने से कोई लाभ नहीं होगा । तदनुसार इस मामले को अनिश्चित किया जाये, और अनावधानता निर्माणों के सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जाये अतः निम्न प्रस्ताव सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

लखनऊ विकास प्राथमिकता की बैठक दिनांक 29.09.79 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सम्भव नहीं है। अतः उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राथमिकता द्वारा इस मामले को अनिश्चित करने के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया उस पर सभा के अनुमोदन अपेक्षित है ।

विषय: लालबाग कामर्शियल/हाउसिंग स्कीम ।

आख्यौं: हजरत गंज के पास अयोध्या हाउस पर लालबाग व्यवसायिक/आवासीय योजना बनायी गयी जिसके अन्तर्गत कुल 7.90 एकड़ भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित की गयी है । लखनऊ मास्टर प्लान में इस भूमि का भू-उपयोग आवासीय/व्यवसायिक में परिवर्तन किया जाना है । यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.07.86 में प्रस्तुत किया गया । तथा निम्न निर्णय लिया गया:-

"उपर्युक्त भूमि का वह भाग अर्जित कर लिया जाये जिसके बारे में भूमि के मालिक की सहमति हो और शेष के लिये बाद में पुनः प्रस्तुत किया जाये ।"

किसी भी मालिक द्वारा अपनी भूमि को अर्जित करने हेतु लिखित रूप से सहमति दिया जाना सम्भव नहीं है फिर भी यदि कोई भी मकान मालिक अपने भवन को योजना में समायोजित कराना चाहेंगा और इसकी आवश्यकता प्रतीत होगी तो उसके समायोजन हेतु अर्जन के उपरांत भी विचार किया जा सकता है । अतः समिति के समक्ष निम्न बिन्दु पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. योजना का नाम लालबाग आवासीय/व्यवसायिक योजना रखने की अनुमति ।
2. योजना के अन्तर्गत आने वाली कुल 7.90 एकड़ भूमि को भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
3. योजना का भू-उपयोग आवासीय/व्यवसायिक परिवर्तित करने की अनुमति ।

विषय: प्रयागपुर हाउस नं०-1 पर टैम्पो स्टैंड एवं आवासीय योजना पेट्रोल पम्प हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: प्रयागपुर हाउस नं०-1 पर टैम्पो स्टैंड एवं आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित की गयी थी और लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में । 21 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित जिलाधिकारी को दिनांक 09. 04. 86 को प्रेषित किये गये थे तत्पश्चात् यह विषय दिनांक 07. 05. 86 को प्राधिकरण की बैठक में रखा गया और निर्णय लिया गया कि "जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में एक सप्ताह में सभी स्थानों पर स्थल अनरीक्षण करेगी तथा मुण्डावगुण के आधार पर आख्या अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत की जायेगी ।"

जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में गाठत सव कमेटी द्वारा दिनांक-13. 05. 86 को स्थल का अनरीक्षण किया गया तथा उक्त सप्ताह में निम्न निर्णय लिया :-

"प्रस्ताव स्वीकार किया गया भूमि अर्जन आधानयम के अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु कार्यवाही की जाय ।"

उक्त सप्ताह की रिपोर्ट का अनुमोदन लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26. 07. 86 में किया गया । इसी योजना के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प लगाने हेतु श्री गिरजा शंकर ने प्रा नि-पत्र दिया है तथा इस हेतु आई०सी०सी० कम्पनी द्वारा मानाचित्र प्रस्तुत किया गया है ।

आई०सी०सी० कम्पनी लि० को फालंग स्टेशन लगाने हेतु अफर भाजस्ट्रेट लखनऊ, मुख्य आग्न शमन आधिकारी, एवं एस०एस०सी० लखनऊ द्वारा अनापात्त प्रमाण-पत्र दिया गया जो इन्होंने अपने पत्र के साथ संलग्न किया है ।

श्री गिरजा शंकर ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह भी सूचित किया है कि आई०सी० कालेज चौराहे परव जिलाधिकारी कोठी के सामने जो पेट्रोल पम्प है उन्हें हटाने का निर्णय लिया जा चुका है । चूँकि इन लोगों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है अतः अब भी ये लोग बने हैं उपरोक्त दोनों पेट्रोल पम्प हटाने के बाद यहां पर पेट्रोल पम्प आवश्यक है ।

इस योजना की विज्ञापितियां जारी करने का मासला अभी जिलाधिकारी स्तर पर ही लाम्बत है ।

आई०सी० कालेज से लेकर जिलाधिकारी निवास तक जब कोई भी पेट्रोल पम्प फालंग हेतु नहीं रहेगा तब यहाँ पेट्रोल पम्प की आवश्यकता होगी ।

अतः निम्न विन्दु सप्ताह के सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत हैं:-

1. आई०सी० कम्पनी लि० द्वारा जमा किया गया पेट्रोल पम्प हेतु मानाचित्र स्वीकृत किये जाने की अनुमति ।
2. शेष भूमि पर योजना चलाने की अनुमति ।
3. सम्पूर्ण भूमि अर्जित करने के उपरान्त जितनी भूमि पर पेट्रोल पम्प हेतु मानाचित्र स्वीकृति किया जायेगा, उसे आई०सी० कम्पनी को आवंटित करने की अनुमति ।

विषय:

भारत पेट्रोलियम के भूखण्ड संख्या: 31/94, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ का भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय उपयोग हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने भूखण्ड संख्या: 31/94, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ जिसका क्षेत्रफल 19,705 वर्गफुट है, को आवासीय उपयोग से कार्यालय उपयोग में परिवर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है । पृथगत स्थल महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है जिसकी चौड़ाई महायोजनानुसार 150 फुट प्रस्तावित है । मेसर्स भारत पेट्रोलियम का उक्त कार्यालय इसी परिसर में लगभग 40 वर्ष पूर्व से आवासीय-कम-कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है । समुचित चौड़े मार्ग पर स्थित होने के कारण एवं कार्यालय छानत्व कम होने के कारण यातायात आदि में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है । कार्यालय भावन हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल भी पर्याप्त है । अतः प्राधिकरण की बैठक के समक्ष उपरोक्त विषय विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

COPY OF THE LETTER OF SHRI H.D.MEHRA,
 SR. DIVISIONAL MANAGER, BHARAT
 PETROLEUM CORPORATION LTD., DATED 17.8.1987

Subject: Conversion of Land Use:Property No: 94 M.G.
 Marg, Lucknow from Residential to Commercial

We write further to our letter of even reference dated 13th July, We are a Government of India Undertaking and have been using the above premises for residential cum Office purposes for last four decades. The aforesaid premises were on rent with us upto August, 1985, thereafter, we purchased the said property from M/s. Atiqulla, Ehsanulla and Samiulla all sons of Late Shri Ghazanfarulla on 13.05.1985 under a duly registered sale deed.

We are given to understand that the current land use of this property is for residential purposes. Since we propose to use it for our Office Establishment, we request you to change the land use from Residential to Commercial. In case, any fee is to be paid for the conversion, it may please be advised to us.

We enclose Site Plan (in duplicate) showing the area of the plot of land and undernote the other particulars:-

- | | | |
|-----|------------------|---|
| (a) | Area of the Land | 19,705 Sq. Ft. |
| (b) | Plot No: | 31/94, Mahatma Gandhi Marg |
| (c) | NORTH | Residential Plot No:B/98
of Sri Mannu Miyan. |
| (d) | SOUTH | Mahatma Gandhi Marg |
| (e) | EAST | House No: 98-A of M/s.
Bharat Petroleum Corpn. Ltd., |
| (f) | WEST | Residential Building No: 93
of Shri S.P.Chakravarti. |

In case any further particulars are required, we shall arrange to submit the same on receipt of your advice.

विज्ञाप संख्या:

16

पृष्ठ संख्या:

31

विज्ञाप: सीतापुर रोड योजना के फेज-2 से आगे 200 एकड़ भूमि का भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट से बदल कर आवासीय करने के सम्बन्ध में।

=====

सीतापुर रोड योजना के फेज-2 में कुर्सी रोड व इन्जीनियरिंग कालेज के बीच दो सेक्टर "जी" व एफ विकसित किये जा रहे हैं। इन दोनों सेक्टरों में भूखण्ड विकसित करके आवन्तित किये जायेंगे। लगभग सभी भूखण्ड आवन्तित हो चुके हैं और अभी इस योजना में भूखण्डों की भारी मांग है।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के लिये शासन में इस वर्ष साइट सर्वेसिज़/ई0डब्लू0एस0 भावनों का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके अन्तर्गत सीतापुर रोड योजना में 800 साइट्स सर्वेसिज़/ई0डब्लू0एस0 भावनों का निर्माण कराया जाना है। वर्तमान में सीतापुर रोड योजना में इन भावनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" व "एफ" के आगे लगभग 700 एकड़ भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की जा चुकी है परन्तु उसका भू-उपयोग महायोजना के अनुसार ग्रीन बेल्ट है।

अतः यह प्रस्ताव है कि सेक्टर "जी" के आगे ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली की भूमि जो लगभग 211 एकड़ है। का भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट से बदल कर आवासीय कर दिया जाये ताकि योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: नजूल भूमि स०: 70 पी-63 पी जिसका कुल क्षेत्रफल 12,239 वर्गफुट है तथा जिसमें से 1,650 वर्गफुट रोड के अन्दर आती है, को छोड़कर शेष भूमि 10,589 की प्राधिकरण द्वारा गैराज, दुकान एवं आवास का प्रयोग में लाने हेतु प्रस्ताव पर विचार ।

=====

लखनऊ नगर महापालिका की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-3-72 के अनुसार उपरोक्त भूमि स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था । लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26-10-85/29-11-85 में उपरोक्त भूमि स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को भूमि के बदले दिये जाने का प्रस्ताव विचार हेतु रखा गया था । प्राधिकरण की बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

" विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि विकास प्राधिकरण से जो उनकी भूमि अर्जित की है उसके बदले में विकास प्राधिकरण की जो भूमि उन्हें दी जानी है वह तो नियमानुसार दे दी जाये जहाँ तक नजूल भूमि उन्हें दिये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाये "

" प्राधिकरण के निर्णय के अधीन मौज़ा महानगर, रामनगर व रहीम नगर की भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1- खासरा न०: 63 ॥ पार्ट ॥ ॥ 2576 वर्गफुट ॥
- 2- खासरा न०: 70 ॥ पार्ट ॥ ॥ 9663 वर्गफुट ॥

कुल 12, 239 वर्गफुट का कब्ज़ा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24-4-86 को लिया जा चुका है । अभी तक उक्त भूमि समिति को हस्तान्तरित नहीं की गयी है । शासन को उक्त नजूल भूमि समिति को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव भोजा गया लेकिन शासन द्वारा आपत्ति उठायी गई है । शासन के इस तर्क में पर्याप्त बल है कि नगर महापालिका कार्य कारिणी समिति द्वारा दिनांक 22 मार्च 1972 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में विचार अथावा कार्यवाही वर्ष 1987 में किये जाने का क्या औचित्य है ? उपरोक्त भूमि की इस समय गैराज, आवास तथा दुकान हेतु प्राधिकरण को जनहित में नितान्त आवश्यकता है । भूमि खासरा नः 63 का जनहित में गैराज एवं बुर्रि दुकान के लिये आवन्टन भी किया जा चुका है ।

अतः नजूल भूमि खासरा 63 पी एवं 70 पी मौज़ा महानगर रहीम नगर जिसका कुल क्षेत्रफल 12,239 वर्गफुट है तथा जिसमें 1650 वर्गफुट रोड के अन्दर आती है को छोड़कर शेष भूमि 10,589 वर्गफुट पर प्राधिकरण द्वारा गैराज, दुकान एवं आवास हेतु प्रयोग में लाये जाने हेतु प्रस्ताव पर विचार ।

=====

विषय:- सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव :- नगर विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 5748/11-5-36-52मिस/86, दिनांक: 12 अगस्त, 1986 के प्रस्तर-9 में वर्णित सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुसार पुराने एवं अविकसित क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत करते समय शुल्क लिया जा रहा है । इस शुल्क के लिये जाने का अनुमोदन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 6-9-1986, विषय संख्या- 17 में लिया गया था परन्तु इसी शासनादेश के प्रस्तर-4 में इस बात का भी उल्लेख है कि स्वीकृति देने से पूर्व प्रत्येक भूखण्ड के क्षेत्रफल पर वाह्य एवं आन्तरिक विकास शुल्क वास्तविक स्थिति के अनुसार लिया जाना उचित होगा । इस संबंध में विभिन्न मदों में होने वाले व्यय के अनुपातिक दर का विवरण संलग्न तालिका सं०: 1 के अनुसार कास्ट एकाउन्टेंट-कम-इकोनामिक प्लानर, विकास प्राधिकरण, लखनऊ की सूचना के आधार पर निकाला गया है । मानचित्रों को स्वीकृत करते समय इन्हीं दरों के आधार पर सुदृढीकरण तथा विकास व्यय पक्षा से लिया जाना तर्क संगत प्रतीत होता है । अतः निम्नलिखित प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

1- यदि किसी अविकसित क्षेत्र के ले-आउट को स्वीकृति दी जाती है तो स्तम्भ संख्या: 3, 4 एवं 5 के अनुसार वास्तविक स्थिति को देखाते हुए आन्तरिक एवं वाह्य विकास शुल्क स्लॉम के क्षेत्रफल पर लिया जायेगा ।

- 2- यदि किसी अविकसित क्षेत्र का ले-आउट स्वीकृत नहीं है तथा इस क्षेत्र के किसी भूखण्ड पर भावन निर्माण को स्वीकृति दी जाती है तो स्तम्भा संख्या: 6, 7 एवं 8 के अनुसार तथा वास्तविक स्थिति को देखाते हुए आन्तरिक एवं वाइय विकास शुल्क भूखण्ड के क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- 3- उपरोक्त प्रस्तर 1 व 2 में जिस कार्य हेतु आन्तरिक विकास के लिये चार्ज लिया जायेगा उसके लिये वाइय विकास शुल्क भी लिया जायेगा।
- 4- स्तम्भा संख्या: 9 व 10 में लिया जाने वाला सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु चार्ज केवल विल्ट-अप एरिया वा पुराने विकसित क्षेत्रों में ही लिया जायेगा तथा केवल उन्हीं सुविधाओं हेतु लिया जायेगा जिनका अभाव है।
- 5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में लिये जाने वाला शुल्क केवल गैर व्यवसायिक भावनों हेतु है। व्यवसायिक प्रयोजन के भावनों पर सोवर युक्त क्षेत्रों में रु० 80.75 पैसे प्रति वर्गमीटर तथा बिना सोवर युक्त क्षेत्रों में रु० 40.45 पैसे प्रति वर्गमीटर का दर से शुल्क लिया जायेगा।
- नोट:- 1- बिना सोवर युक्त क्षेत्रों में ^{यह}ते/तात्पर्य है कि उस स्थान से आधा किलोमीटर की परिधि में सोवर का सुविधा उपलब्ध है।
- 2- चार मंजिल से अधिक ऊँचे भावनों पर उपरोक्त शुल्क का 125 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
- 6- भूखण्ड का अनाधिकृत विभाजन करने पर स्तम्भा सं०-7 के अनुसार रु० 35.70 पैसे प्रति वर्गमीटर का दर से वाइय विकास शुल्क लिया जायेगा।

संलग्नक: तालिका संख्या-1

तालिका संख्या-2

विकास शुल्क के सम्बन्ध में कास्ट एकाउन्टेन्ट-कम-इकोनामिक प्लानर, विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई दरें :-

-x-x-x-x-x-x-

क्रमसं०	विवरण	दर प्रति एकड़ रुपये	दर प्रति वर्गमीटर
1-	रोड्स	1,08,000.00	26.69
2-	एस0डब्लू0 ड्रेन एण्ड सरफेस ड्रेन	27,500.00	6.80
3-	सीवर	88,000.00	21.75
4-	वाटर मेंस	72,000.00	17.79
5-	पार्क्स	15,400.00	3.80
6-	इलेक्ट्रिकल	38,500.00	9.51

-x-x-x-x-x-

विकास शुल्क सम्बन्धी विवरण
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

पृष्ठ सं. :- 36

क्रमसं०	आइटम	योजना क्षेत्र में रु० प्रति वर्गमीटर			योजना क्षेत्र में 60% विक्रय हेतु क्षेत्रफल के आधार पर रु० प्रति वर्गमीटर			कुल क्षेत्रफल पर सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु रु० प्रति वर्गमीटर	
		आंतरिक	वाह्य	योग	आंतरिक	वाह्य	योग	सीवर	नान-सीवर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1-	रोड्स	20.07	06.62	26.69	33.44	11.04	44.48	16.65	13.34
2-	ड्रेन्स	05.11	01.69	06.80	08.52	02.81	11.33	04.22	03.40
3-	सीवर	16.35	05.40	21.75	27.26	08.99	36.25	13.56	---
4-	वाटर	13.38	04.41	17.79	22.29	07.36	29.65	11.09	08.90
5-	इलेक्ट्रिकल	07.15	02.36	09.51	11.92	03.93	15.85	05.93	01.90
6-	पार्क्स	02.86	00.94	03.80	04.76	01.57	06.33	02.37	04.75
योग:-		64.92	21.42	86.34	108.19	35.70	143.89	53.82	32.29

विषय संख्या:- 19

पृष्ठ संख्या:-37

विषय:- श्री ए०के०भाटिया, मेसर्स मोहित इण्डस्ट्रीज, प्लॉट
==== सं०: 56, ताल कटोरा रोड, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, यहियागंज,
लखनऊ के भावन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव:- प्रश्नगत विषय श्री ए०के०भाटिया, मेसर्स मोहित
इण्डस्ट्रीज हेतु भूखण्ड सं०: 56, इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
ताल कटोरा रोड से सम्बन्धित है । इस विषय में श्री ए०के०
भाटिया को उक्त भूखण्ड, जिसका क्षेत्रफल 6,000 वर्ग
फुट है, औद्योगिक विभाग द्वारा आवंटित किया गया था
पक्षा ने उक्त भूखण्ड पर फैक्ट्री निर्माण हेतु भावन
मानचित्र प्रस्तुत किये हैं जिसको लखनऊ महायोजना के
परिपेक्ष्य में जाँचा गया । लखनऊ महायोजना के अनुसार यह
भूखण्ड एक्टेन्सिव इण्डस्ट्री की श्रेणी में आता है जिसके
लिये भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होना चाहिए
तथा भूखण्ड की चौड़ाई न्यूनतम 100 फिट होनी चाहिए ।
पक्षा को जो भूखण्ड औद्योगिक विभाग द्वारा उपलब्ध
कराया गया है वह महायोजना के माप-दण्डों के अनुसार नहीं
है चूँकि भूखण्ड शासन के अन्तर्गत औद्योगिक विभाग द्वारा
उपलब्ध कराया गया है अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार
के सभी भूखण्डों पर नियमानुसार महायोजना के माप-दण्डों
से छूट प्रस्तावित की जाये, साथ ही यह अनुमाना की जाती
है कि औद्योगिक विभाग द्वारा जिन भागों का तथा जित
क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध कराया गया है उसी पर भावन
चित्र स्विकृति हेतु विचार किया जाये ।

अतः उपरोक्त आख्या प्रश्नगत भूखण्ड सं०: 56,
तालकटोरा रोड जोकि वर्तमान में महायोजना के अन्तर्गत
आवासीय प्रयोग हेतु आरक्षित है, को इण्डस्ट्रियल उपयोग
हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्राथमिकरण
के सभक्षा प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

विषय:- मेसर्स मोटर सेल्स लिमिटेड, 11-महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या:- हजरतगंज में महात्मा गान्धी मार्ग पर स्थित भवन जिसमें मेसर्स मोटर सेल्स लिमिटेड का शो रूम तथा वोल्टाज का कार्यालय आदि है तथा इसका स्वामित्व मेसर्स मोटर सेल्स लिमिटेड के पास है । इस भवन में परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मानचित्र प्राधिकरण में जमा किये गये हैं । चूंकि अभी तक इस प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई नियम उपलब्ध नहीं था अतः शासन से तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से दिशा निर्देश प्राप्त किये गये थे § जिनकी प्रतिलिपि पृष्ठ 37 से 40 तक संलग्न है § इन दिशा निर्देशों में परस्पर विरोधाभास को स्थािति उत्पन्न हो गया है जिसके क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय आवश्यक प्रतीत होता है ।

- 1- पक्षा के भवन के सामने की ओर सम0जी0रोड पर जो भवन का भाग लगभग 3फिट-0" एवं प्रोजेक्शन 2फिट-0" का है वह माहायोजनानुसार प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से प्रभावित है तथा अनाधिकृत रूप से बनाया गया है अतः इस बिन्दु पर भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार शासन सम्भव हो सकेगा । अतः कृपया इस बिन्दु हेतु भी निर्णय अपेक्षित है ।
- 2- माहायोजनानुसार सम0जी0रोड की ओर प्रत्येक निर्माणकर्ता को 40फिट-0" का सेट बैक छोड़ना अनिवार्य है । पक्षा ने जो भवन चित्र प्रस्तुत किये हैं उनको शासन/स्वीकृति हेतु उपरोक्त सेट बैक से छूट प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- 3- माहायोजना के संशोधित प्राविधानों के अनुसार पक्षा यदि किसी भूखण्ड पर 35% आच्छादन करता है तो सम0स0आर0 की अधिकतम सीमा 200 होगी और यदि 25% आच्छादन

करता है तो 300 एफ०ए०आर० होगा । सम्पूर्ण भूखण्ड पर लगभग शत-प्रतिशत आच्छादन के मामले में शासन से नीतिगतनिर्णय प्राप्त हुआ है जिसके अन्तर्गत महायोजना के प्राविधान लागू नहीं माने जाने चाहिए । इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जो prohibitive प्रकृति के हैं । उननियमों के अनुसार पक्षा को स्वीकृत भू-आच्छादन से अतिरिक्त आच्छादन एवं आवश्यक पार्किंग स्थल हेतु जितने स्थान की कमी हो उसको स्वीकृति योग्य से एफ०ए०आर० से कम करके भावन चित्रों के निस्तारण पर विचार किया जाना है । पुरनगत भावन चित्र उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृति योग्य नहीं है अतः इस परिप्रेक्ष्य में भी छूट अपेक्षित है ।

प्रस्ताव:- अतः उपरोक्त आख्यानानुसार बिन्दु संख्या: 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत क्रमशः महायोजनानुसार मार्ग की चौड़ाई से छूट एवं भू-उपयोग परिवर्तन, महायोजनानुसार सामने के 40फिट-0" के सेट बैक से छूट एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित एफ०ए०आर० छूट सम्बन्धा निर्णय अपेक्षित है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 की अनुसूचक
विषयों की कार्यवृत्ति

क्र. संख्या	विषय	पृष्ठ सं०
21-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कांस्ट्रिंग विभाग में डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक असिस्टेन्ट के चयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	40
22-	डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा भूतपूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को लखनऊ विकास प्राधिकरण में कान्स्ट्रक्ट वेरिस पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	41
23-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्थापित मलिन बस्ती सुधार सेल हेतु सुविधा पत्रों की अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में ।	44
24-	प्राइवेट विन्डर्स को भूमि आवन्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	45 ✓
25-	अध्यक्ष महोदय की अनुकति से अन्य जोड़ विषय ।	

विषय संख्या: 21

पृष्ठ सं040

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्स्टिंग विभाग में डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनॉमिक प्लानिंग असिस्टेन्ट के चयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

संख्या: शासनादेश सं02286/11-1-डी0र0/86 दि014, अगस्त 1987 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्स्टिंग विभाग में डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट, एक पद वेतनमान रु0850-40-1050द0रो0-50-1300-50-1420-द0रो0-60-1720 तथा इकोनॉमिक प्लानिंग असिस्टेन्ट, एक पद वेतनमान रु0570-25-770-द0रो0-30-980-द0रो0-30-1100 में सृजित किया गया है। यह दोनों पद विकास प्राधिकरण के लिये सृजित कैडर में अंकित नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि इन दोनों पदों पर नियुक्तियों प्राधिकरण द्वारा कर ली जायें।

डिप्टी एकाउन्टेन्ट का पद जो कि वेतनमान रु0850-1720 में सृजित हुआ है, द्वितीय श्रेणी का पद है। प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। अतः प्रस्ताव है कि इस पद को प्रश्न प्रोन्नति के द्वारा भरा जायें ताकि प्राधिकरण में कर्मचारियों/अधिकारियों का मनोबल ऊँचा रहे। प्रोन्नति हेतु विकास प्राधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है जोकि समस्त मात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले पर विचार करके प्रोन्नति से सम्बन्धित निर्णय लेगी।

इकोनॉमिक प्लानिंग असिस्टेन्ट का एक पद वेतनमान रु0570-1100 में सृजित है। इस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। इस पद को समाचार पत्रों में विज्ञापित करने तथा सेवा योजन कार्यालय से नाम माँगे जाने का प्रस्ताव है। प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से उपयुक्त अभ्यर्थी का चुनाव प्राधिकरण में कार्यरत उच्चतम अधिकारियों की गठित कमेटी द्वारा करने का प्रस्ताव है।

डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा, विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी के पद पर कार्यरत एवं पी०सी०एस० सेवा के सदस्य से उन्होंने दिनांक 30 अप्रैल, 1987 को अवकाश ग्रहण किया। भूमि अर्जन कार्य के सम्बन्ध में इनके अनुभव, कुशलता एवं परिश्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ ने डा० वर्मा को सेवावृद्धि प्रदान करने के लिए शासन को संस्तुति की थी, किन्तु कतिपय कारणवश शासन द्वारा उन्हें सेवाओं में वृद्धि नहीं प्रदान की जा सकी।

डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा के सेवाओं के लाभन्वित होने के लिए शासन से पत्र संख्या: 995/सचिव, वि०प्र०, दिनांक 17.7.87 द्वारा अनुरोध किया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन्हें कान्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त करने की स्वीकृत प्रदान करने की कृपा की जाये। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या: 2492/11-4-डी०एस०/87 दिनांक 12.8.87 द्वारा डा० वर्मा को रू० 2,000/= प्रति माह की दर से कान्ट्रैक्ट बेसिस पर 3 माह के लिए नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की। उक्त पत्र एवं शासनादेश की प्रतियां संलग्न है। शासन के उल्लिखित आदेशों के क्रम में डा० वर्मा ने दिनांक 12.8.87 से विकास प्राधिकरण में योगदान करना प्रारम्भ कर दिया है।

इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भूमि अर्जन के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं जिसके फलस्वरूप निहित स्वार्थों द्वारा प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजनाओं के विरुद्ध कई वाद माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर किये हैं, जिनकी निरन्तर पेरवी की आवश्यकता है। साथ ही प्राधिकरण के भूमि अर्जन के शासन एवं जिला प्रशासन आदि-आदि स्तरों पर लम्बित प्रस्तावों की निरन्तर पेरवी की आवश्यकता है। साथ ही जब से लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूमि अर्जन का कार्य सम्पादित करने वाले अधिकारी का स्थानान्तरण हुआ है, तब से प्राधिकरण के भूमि अर्जन विभाग का कार्य अस्त-व्यस्त सा हो गया था, जिसे डा० वर्मा ने अथक प्रयास करके सुधार लाने का सफल प्रयास किया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्प्रति डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा की सेवाओं की नितान्त आवश्यकता है। वर्णित परिस्थितियों में प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव इस संस्तुति से प्रस्तुत है कि प्राधिकरण कृपया डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा की सेवाओं को उक्त शासनादेश में वर्णित शर्तों के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में इस सम्बन्ध में स्थायी व्यवस्था हो जाने तक कार्यरत रहने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

सेवा में,

कार्यालय उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6-जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ।

संख्या: 995/सचिव0वि0प्रा0.

दिनांक: 13-7-1987

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं नगर विकास
विकास भवन, लखनऊ।

नत्थी,.....

विषय

डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा, भूतपूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में कान्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद से दिनांक 30 अप्रैल, 1987 को सेवामुक्त हो चुके हैं। डा० वर्मा बहुत ही अनुभवी, परिश्रमी एवं कुशल अधिकारी रहे हैं, इन्हें अर्जन विभाग से सम्बन्धित कार्य प्रणाली का अच्छा ज्ञान है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनेक योजनाओं के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी रखते हैं। यह कानूनी मामलों की समस्त पेचीदगियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं। इनकी सेवाओं का यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाय तो लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। जिलाधिकारी महोदय भी इनके कार्य से सन्तुष्ट थे और उन्होंने शासन को इनकी तस्वीर के इकट्टे-नगान का प्रस्ताव भेजा था जो शासन द्वारा स्वीकार नहीं हो सका।

शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर नियुक्ति विभाग के सयुक्त सचिव श्री जे०एस०दीपक द्वारा अपने गोपनीय अर्ध शासकीय पत्र संख्या: 2770/दो०३३-22३३/73 दिनांक 19 जून, 1987 प्रतिलिपि सतंगन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7-12-84 के अनुसार स्थगित कर दी गयी है।

अतः अनुशंसा की जाती है कि डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सलाहकार अर्जन का पदनाम देकर दो वर्ष के लिए रकम 2,000/- प्रति माह की दर से कान्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

HO/-

शैलेश कृष्ण
सचिव/का० उपाध्यक्ष।

प्रेषक,

श्री चन्द्र शेखर गुप्त,
उप सचिव,
आवास एवं नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग -4

लखनऊ दिनांक 12अगस्त, 1987

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त पत्र संख्या 295/
सचिव, वि०प्रा० दिनांक 17-7-1987 के संदर्भ में सुझे यह सूचित करने का
निर्देश हुआ है कि डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा सेवा निवृत्त, विशेष भूमि अध्याप्त
अधिकारी को लखनऊ विकास प्राधिकरण में तलाहकार का पदनाम देकर
स्मया 2000/- प्रति माह की दर से कान्स्ट्रैक्ट बेसिस पर 3 माह के लिए
रख लिया जाए। तब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी स्थानीय
व्यवस्था कर लेगा। कृपया इस सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही
कर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह०/-

§ चन्द्र शेखर गुप्त §
उप सचिव।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्थापित मजिन बस्ती सुधार सेल हेतु सृजित पदों की अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में ।

----- 00000- -----

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 26 जुलाई, 1986 में विकास प्राधिकरण में मजिन बस्ती सुधार सेल स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सेल हेतु निम्नलिखित पद एक वर्ष के लिये कान्स्ट्रैक्ट डेप्युटी पर सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था ।

<u>क्रम संख्या</u>	<u>पदनाम</u>	<u>निर्धारित योग्यता</u>	<u>पद सं०</u>	<u>वेतन</u>
1-	समाज शास्त्री	समाज शास्त्र में रिसर्च की डिग्री तथा टीचिंग का तीन वर्ष का अनुभव	1	1500.00
2-	सामाजिक कार्यकर्ता	एमओएओ की डिग्री तथा 2 वर्ष का अनुभव ।	2	1000.00

समाज शास्त्री पद के लिये निर्धारित योग्यता रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ और इस लिये इस पद के लिये चयन नहीं किया गया।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के दोनों पद पर नियुक्तियों निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर ली गई है और दोनों अभ्यर्थी बड़े ही परिश्रम, लगन और विशेष रुचि के साथ कार्य कर रहे हैं। इनके प्रयास और लूकनऊ से कई गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बड़ी ही आसानी से इन्हें वहां से निकाल किया जा सकता है। अतः आगे भी इस पद के बतते रहने की विशेष आवश्यकता है।

प्रस्ताव:-

अतः अनुशंसा की जाती है कि उपरोक्त सामाजिक कार्यकर्ता के दो पदों एवं उन पर कार्यरत दोनों कर्मचारियों की सेवा अवधि निर्धारित सामान्य शर्तों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाये, साथ ही ₹0125.00 प्रतिमाह वाहन भत्ता देने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ।

विषय: प्राईवेट बिल्डर्स को भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

आख्या: प्राईवेट बिल्डर्स को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में विषय विकास प्राधिकरण की बैठक दि० 26.7.86 में रखा गया था। उपरोक्त बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् विषय सं० 18 के अर्न्तगत निम्नालिखित निर्णय लिया गया था :

§ 18 मे० अंसल हाऊसिंग एण्ड लीजिंग कं० लि० नई दिल्ली और मे० डी० एल० एफ० घूमनवर्सल लि० नई दिल्ली को कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जे, के, एम, व एन में भूमि दे दी जायें। दोनों बिल्डर्स को बुलाकर उनसे विचार विमर्श कर उपरोक्त भूमि का बंटवारा कर लिया जायें।

§ 22 प्रस्तावित दरें यथावत् अनुमोदित की गईं।

§ 33 इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष जो अन्य प्रार्थना-पत्र हैं, उनकी स्कूटनी फिर से कर ली जायें। उसमें से तथा शासन द्वारा चयनित समिति द्वारा चयनित क्रम सं० 1, 2, 3 पर अंकित बिल्डर्स को अन्य किसी योजना में भी भूमि देने की कार्यवाही की जायें। इस कार्यवाही के लिये एक उप समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
2. उपाध्यक्ष,
3. श्री राम नगीना सिंह,
4. श्री/डा० बी० एन० खन्ना,
5. श्रीमती उमा त्रिपाठी,

उपरोक्त उप समिति नये बिल्डर्स का चयन करेगी तथा अन्य किसी योजना में उपलब्ध भूमि का आवंटन करेगी एवं प्राईवेट बिल्डर्स को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम और शर्तों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी।

इस उप समिति द्वारा जो आवंटन किया जायें, उस शासन द्वारा गठित उप समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करके अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जायें।

उपरोक्त समिति द्वारा प्राईवेट बिल्डर्स को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में जो शर्तें अनुमोदित की गईं, उसके अनुसार मे० अंसल हाऊसिंग एण्ड लीजिंग कं० लि० नई दिल्ली को कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जे, के, में भूमि आवंटित की गई और अन्त तो गत्वा दि० 17.7.87 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। निष्पादित किये गये अनुबन्ध की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 1987
=====

का कार्यवृत्त
=====

उपस्थिति:

- 1- श्री बृजेश कुमार, अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
- 2- श्री शौलेश कृष्णा, उपाध्यक्ष/प्रशासक, ल0वि0प्र0/न0म0पालिका ।
- 3- श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, नगर विकास
- 4- श्री राम बहादुर सक्सेना, अतिरिक्त जिलाधिकारी, लखानऊ ।
- 5- श्री जे0पी0भार्गव, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
- 6- श्री राम नगीना सिंह, सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण
- 7- श्री एम0ए0एम0खान, विधायक एवं स्पेशल इनवाइटी ।

अन्य उपस्थिति:

श्री दिवाकर त्रिपाठी, सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण,

=x=x=x=x=x=

विषय संख्या: 1 लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित संशोधनों के साथ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-9-1987 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई :-

§ 1 § विषय संख्या: 9 का निर्णय निम्न प्रकार से पढ़ा जाये :-

“ विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को संशोधित करते हुए 700 एकड़ की डिटेल्ड प्लानिंग तथा डिटेल्ड नक्शों के साथ टिप्पणी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखानऊ को भोज दी जाये । ”

§ 2 § विषय संख्या: 23 के निर्णय में निम्नांकित पंक्ति बढ़ा दी जाये :-

“ लखानऊ विकास प्राधिकरण इसमें कोई व्यय वहन नहीं करेगा । ”

§ 3 § विषय संख्या: 43 में निर्देश दिया गया कि योजना के प्रथम भाग के बारे में धीरे धीरे अंकित किया जाना चाहिये । उपाध्यक्ष ने बताया कि इस सम्बन्ध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है ।

क्रमशः—

§ 4§ विशेषा प्रस्ताव-2 में निर्णय निम्न प्रकार पढ़ा जाये :-

" * निर्णय लिया गया कि हज़रतगंज स्थित नवल किशोर रोड पर एल0आई0सी0 की प्रस्तावित तेरह मजिला बिल्डिंग का भावन चित्र तथा हज़रतगंज क्षेत्र में उत्तर मजिल § कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक § से लारेटोकानवेन्ट तक अन्य कोई भी बहुमन्जिली बिल्डिंग का भावन चित्र स्वीकृत करने से पूर्व प्राधिकरण का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये ।

विषय संख्या: 2

लखानऊ, विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंके 24 सितम्बर, 1987 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय :

अवलोकन किया गया । अनुपालन आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत हो । साथ ही अपेक्षा की गई कि निर्णयों की क्रमवार सूची, की गई कार्यवाही की टिप्पणी के साथ प्रस्तुत की जाये और जिन निर्णयों पर कार्यवाही पूर्ण हो जाये, उनको सूची से निकाल दिया जाये ।

विषय संख्या: 3

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, अभियन्त्रण कार्य एवं सम्पत्ति निस्तारण से सम्बन्धित प्रगति आख्या ।

निर्णय :

प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिया गया कि फिज़िकल प्रोग्रेस की तालिकाये इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर से ही टाइप करवाकर प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 4

अपर इन्डिया पेपर मिल को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिये भाखाण्ड एवं आवासीय इकाइयों की आवश्यकता के आधार पर प्रतिबन्ध लगाकर भू-उपयोग परिवर्तन कर पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासन को संस्तुति की जाये । अवशेष भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कर विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना बनाये ।

विषय संख्या: 5

अर्जन विभाग द्वारा भावन मानचित्रों पर आपत्ति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव केवल आवासीय क्षेत्र के लिये ही लागू होगा ।

- विषय संख्या: 6 भिलावाँ आवासीय योजना ।
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि भाविष्य में अधिग्रहण के समस्त मामलों में मानचित्र, मूद विवरण के साथ सैलग्न किये जायें जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधिग्रहण का प्रस्ताव किस प्रकार और क्षेत्रफल का है एवं उसकी स्थिति महायोजना प्रस्तावों एवं विद्यमान मार्ग अथावा सार्वजनिक भावनों के परिपेक्ष्य में क्या है ?
- विषय संख्या: 7 महारानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर व्यवसायिक -कम- आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या: 8 लिबर्टी सिनेमा के निकट क्षेत्र में व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन ।
निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित शर्त सहित अनुमोदित किया गया :-
1- श्रीमती रोमोला चटर्जी का भावनचित्र वर्तमान भू- उपयोग के आधार पर स्वीकृति हेतु विचार किया जाये ।
2- शोडा भूमि पर प्रस्तावित योजना हेतु अर्जन की कार्यवाही की जाये ।
- विषय संख्या: 9 मोहल्ला महादतगंज वार्ड में नूरबाड़ी आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7-5-86 द्वारा जिलाधिकारी लखानऊ की अध्यक्षता में गठित उपसमिति का पुर्नगठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-
1- श्री राम नगीना सिंह, सदस्य
2- उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
3- मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश अथावा उनका प्रतिनिधि ।
उपरोक्त समिति स्थल निरीक्षण करके निर्णय देगी जो अन्तिम रूप से मान्य होगा और उसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

- विषय संख्या: 10 शारदा केनाल से रेलवे लाइन तक तथा लखानऊ कानपुर नेशनल हाई वे से अमौसी डिस्ट्रीब्युटी क्षेत्र तक भूमि का अर्जन ।
- निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव संख्या: 9 में गठित उप समिति इस प्रस्ताव पर भी स्थल निरीक्षा के पश्चात् अपना अन्तिम निर्णय देगी ।
- विषय संख्या: 11 सीतापुर रोड ४ पश्चिम ४ आवासीय योजना भाग- 2 ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या: 12 अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अर्न्तगत आने वाले हार्तिकल्चर फार्म की भूमि को मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या: 13 लालबाग कामशियल/हाउसिंग स्कीम
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि चूँकि भूमि के मालिक ने अनौपचारिक सहमति दे दी है अतः मास्टर प्लान के अनुस्र आच्छादन की शर्तों के साथ अर्जन की कार्यवाही की जाये ।
- विषय संख्या: 14 प्रयागपुर हाउस न०:1 पर टेम्पो स्टैन्ड एवं आवासीय योजना से पेट्रोल पम्प हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विस्तृत स्म से विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :-
- ११ प्रस्ताव स्वीकार किया गया । योजना हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाये ।
- १२ उक्त योजना में आई०वी०पी०कम्पनी लि० को भूमि इस शर्त पर दे दी जाये कि वह विस्थापित श्री गिरजा शॉकर को ही इस भूमि पर पेट्रोल पम्प चलाने हेतु लाइसेन्स दे । अर्जित भूमि से ही कुछ भूमि आवन्टित करके आई०टी०चौराहे वाले पम्प को भी यहाँ स्थानान्तरित कर दिया जाये ।
- विषय संख्या: 15 भारत पेट्रोलियम के भूखण्ड संख्या: 31/94 महात्मा गांधी मार्ग, लखानऊ का भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय उपयोग हेतु परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया ।

- विडाय संख्या: 16 तीतापुर रोड योजना के फेज़-2 से आगे 200 एकड़ भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण 700 एकड़ भूमि का सर्वे करके डिटेल्ड प्लानिंग व नक्शों के साथ टिप्पणी मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक को भोजी जाये ।
- विडाय संख्या: 17 नजूल भूमि खासरा नम्बर 70 पी-63 को प्राधिकरण द्वारा गैराज, दुकान एवं आवास के प्रयोग में लाने का प्रस्ताव ।
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।
- विडाय संख्या: 18 सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
- विडाय संख्या: 19 श्री एके0भाटिया, मेसर्स मोहित इन्डस्ट्रीज़ प्लॉट संख्या: 65, ताल कटोरा रोड इन्डस्ट्रियल स्टेट यहियार्गेज, लखानऊ के भावन चित्र के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि इसके अतिरिक्त इस तरह के समस्त अन्य मामले आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें ।
- विडाय संख्या: 20 मेसर्स मोटर तेल्स लि0, 11- महात्मागांधी मार्ग द्वारा अपने वर्तमान भावन में भू-उपयोग आवासीय से कार्यालय उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विडाय आगामी बैठक हेतु स्थागित किया गया ।
- विडाय संख्या: 21 लखानऊ विकास प्राधिकरण में कास्टिंग विभाग में डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक अतिस्टेन्ट के चयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अर्हताओं के आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थी का चुनाव प्राधिकरण में कार्यरत उच्चतम अधिकारियों की गठित कमेटी द्वारा कर लिया जाये ।

- विषय संख्या: 22 डTO ज्ञानेन्द्र वर्मा भूतपूर्व विशेषज्ञ भूमि अध्यापित अधिकारी को लखनऊ विकास प्राधिकरण में कान्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि डTO ज्ञानेन्द्र वर्मा का कार्यकाल शासनादेश में वर्णित शर्तों के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाये ।
- विषय संख्या: 23 लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्थापित मलिन बस्ती सुधार सेल हेतु सृजित पदों की अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में ।
निर्णय : प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या: 24 प्राइवेट बिल्डर्स को भूमि आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थागित किया गया ।
- विशेष प्रस्ताव:
- § 1 § विकास शुल्क लेकर विकास कार्य सम्पन्न कराया जाये और अगर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है तो अर्जन की कार्यवाही कर ली जाये ।
- § 2 § यह निर्णय लिया गया कि हलवासिया मार्केट एवं सिविल डिस्पेन्सरी के सामने स्थित पेट्रोल पम्प भी अन्यत्र कहीं शिफ्ट कराये जायें । हलवासिया बिल्डिंग के सामने वाले पेट्रोल पम्प के मालिक को बटलर पैलेस के पीछे अपना पेट्रोल पम्प शिफ्ट करने हेतु आफर भोज दिया जाये ।

हO/- शौलेशा कृष्णा
§ शौलेशा कृष्णा §
उपाध्यक्षा
लखनऊ विकास प्राधिकरण/
प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ ।

हO/- दिवाकर त्रिपाठी
§ दिवाकर त्रिपाठी §
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

अ नु मो दि त

हO/- बृजेशा कुमार

§ बृजेशा कुमार §
अध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण/
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।